राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रभुदयाल बनाम प्रहलाद

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/02/2026	1999/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित	रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित	अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 17/02/2026 को पेश हो	
17/02/2026	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 प्रहलाद ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय बहस समायत करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 27/01/2025 पारित करते हुये विवादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं प्रार्थी के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान कारित नही किये जाने के आदेश प्रदान किये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी	जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहे | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर अपीलार्थी के पास उपलब्ध है एवं अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार/तथ्य प्रस्तुत नही किया गया है, जिसके आधार पर अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो	अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश दिनांक 27/01/2025 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है	न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आज्ञापक प्रावधानों का अनुसरण करते हुये 30 दिवस में उभयपक्षों की सुनवाई कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विधिसम्मत निस्तारण करे | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 17/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया | राजस्व अपील प्राधिकारी	